

सनदी लेखापाल एवं सनदी लेखापाल फर्मों की पेनल(नागरिक सहकारी बैंकों को छोड़कर)वर्ष 2023-24 के लिये वरिष्ठता मापदंड परिशिष्ट - 'स'

मापदण्ड	अधिकतम अंक
1. पंजीयन की अवधि - आई.सी.ए.आई. संस्थान में पंजीबद्ध फर्म के वरिष्ठतम एफ.सी.ए. पार्टनर की संबद्धता दिनांक से प्रत्येक 01 वर्ष के लिए 01 अंक	10
2. फर्म के अनन्यरूप से पार्टनर जो फर्म के म0प्र0 स्थित जिला कार्यालय में कार्यरत है तथा न्यूनतम 05 वर्ष की अवधि से फर्म से संबद्ध है। (एफ.सी.ए./ए.सी.ए.) प्रत्येक के लिये 02 अंक	10
3. अंकेक्षण का अनुभव	
1. म0प्र0 की शीर्ष बैंक एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के वैधानिक अंकेक्षण का अनुभव होने पर प्रत्येक वर्ष के लिये -02 अंक	14
2. राष्ट्रीयकृत/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/म.प्र. की शीर्ष सहकारी संस्थायें/नागरिक सहकारी बैंक का अनुभव होने पर प्रत्येक वर्ष के लिये -01 अंक	06
4. फर्म के म0प्र0 स्थित किसी कार्यालय में कार्यरत सीसा/डीसा प्रमाण पत्र रखने वाले पूर्णकालिक पार्टनर/सनदी लेखापाल सेवायुक्त (न्यूनतम 02 वर्ष की संबद्धता अनिवार्य) के लिये प्रत्येक के लिये 02 अंक	06
5. फर्म के मुख्यालय एवं शाखा कार्यालय के लिये	25
1. सोसायटी के मुख्यालय वाले जिले पर फर्म का मुख्यालय स्थित होने पर -25 अंक	
2. सोसायटी के मुख्यालय के जिले पर फर्म की शाखा होने पर 15 अंक	
3. सोसायटी का मुख्यालय जिले में है संभागीय जिलों में फर्म का मुख्यालय/शाखा स्थित होने पर - 10 अंक	

6. फर्म के अनन्य रूप से पार्टनर जो फर्म के मध्यप्रदेश स्थित किसी जिला कार्यालय में कार्यरत है, की फर्म से संबद्धता के लिये - 1. 15 वर्ष से अधिक की संबद्धता वाले प्रत्येक अनन्य पार्टनर के लिये- 05 अंक 2. 12 वर्ष से अधिक 15 वर्ष तक की संबद्धता वाले प्रत्येक अनन्य पार्टनर के लिये- 04 अंक 3. 07 वर्ष से अधिक 12 वर्ष तक की संबद्धता वाले प्रत्येक अनन्य पार्टनर के लिये- 03 अंक 4. 02 वर्ष से अधिक 07 वर्ष तक की संबद्धता वाले प्रत्येक अनन्य पार्टनर के लिये- 02 अंक	19
7. फर्म के स्टॉफ के लिये प्रत्येक सी0ए0 सेवायुक्त के लिए 01 अंके	05
8. आई.सी.ए.आई. संस्थान से फॉरेंसिक एकाउंटिंग एवं फ्राड प्रीवेंशनसर्टीफिकेशन होने पर प्रत्येक पार्टनर/सी.ए. एम्प्लॉई के लिए 01 अंक	05
योग	100
रिमार्क - 1	
रिमार्क - 2	
कुल योग	

रिमार्क :-

- गत वर्ष 2022-23 का वैधानिक अंकेक्षण आवंटन प्राप्त होने पर सहमति दिये जाने के उपरान्त भी किसी संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म के द्वारा प्रभाव अमान्य किया गया है तो ऐसी स्थिति में उक्त फर्म को वरिष्ठता मापदण्ड में प्राप्तांक में से 10 अंको की कमी की जावेगी।
- यदि किसी फर्म की विगत वर्षों में अंकेक्षण कार्य असंतोषजनक पाया गया है तो फर्म के 10 प्रतिशत अंक कम किये जावे।

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58 के द्वितीय परन्तुक के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं की वैधानिक संपरीक्षा सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्म को आवंटित करने हेतु प्रयोक्तव्य)

वचन/सहमति पत्र

मैं/हम (फर्म का नाम एवं पता)
.....शीर्ष/जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित
(प्राथमिकता क्रम चयन अनुसार नाम अंकित करें अथवा सूची संलग्न करें) की वैधानिक संपरीक्षा वर्ष 2023-24 के लिए प्राधिकृत करने की स्थिति में एतद् द्वारा घोषणा करते हैं/वचन देते हैं :-

1. म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (17, सन 1961) एवं उसके अधीन विरचित सहकारी सोसायटी, नियम 1962 संबंधित संस्था के उप नियम एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश द्वारा परिपत्रीय व्यवस्था/प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।
2. पंजीयक सहकारी संस्थायें म.प्र. के क्रमांक/अंके./2/2024/17 दिनांक दिनांक 05.01.2024 से निर्धारित शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जावेगा।
3. किसी सहकारी संस्था की वैधानिक संपरीक्षा हेतु आवश्यक गोपनीयता व्यवहारित की जाकर पंजीयक सहकारी संस्थायें म.प्र. के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जावेगा।

हस्ताक्षर

(प्रतिनिधि का नाम एवं मुद्रा)

फर्म का नाम

.....
फर्म का एफ.आर.एन. क्रमांक

.....